

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
 :: दिनांक 16.07.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 16.07.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

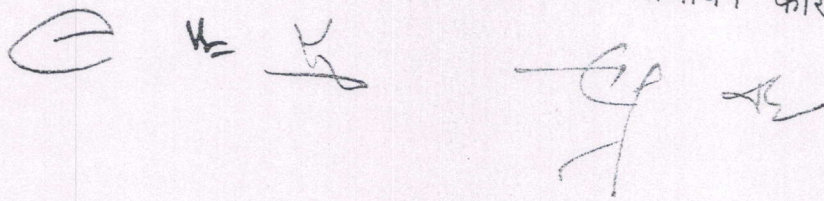
- | | |
|---|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री एल.आर. मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सत्यपाल जांगिड़,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में 05 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 01 प्रकरण को समिति द्वारा प्रवर्द्धित किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
मुश्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली	वि.के.का. श्यालावास	538/2023	08.10.2024	16.05.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी मुश्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-
 बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 02 डीग, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2012 (45/2009)(31/2008) अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी., 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 01.12.2012 को आजीवन कारावास से



दण्डित किया गया। इसके द्वारा दिनांक 30.04.2025 तक 14 वर्ष 04 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

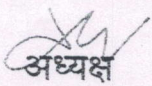
बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 538/2023 मुश्ताक बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 08.10.2024 से निर्णय पारित किया है कि

“The petitioner's prayer for transfer to Open Air Camp has been refused by the Competent Authority on the ground that four other criminal cases are pending against the petitioner. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is a life convict and he has served out more than 11 years, 1 month and 20 days of his sentence. Heard. Considered The object of establishment of Open Air Camp under relevant rules is to allow the convict to learn the skill so that he may establish him self in the society after serving out the sentence. Since there is no reasonable justification for not transferring the petitioner in Open Air Camp, the impugned order of the Open Air Camp Committee qua the petitioner is hereby quashed and it is directed that the petitioner be transferred to Open Air Camp as per rules. Accordingly, the writ petition stands allowed ”

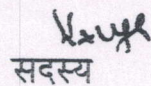
माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.10.2024 के पश्चात् दिनांक 14.10.2024 आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण पर विचार कर तत्समय बंदी के विरुद्ध 04 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नहीं) होने से इसे बंदी खुला शिविर में नहीं निकाला जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

इसी क्रम में बंदी का प्रकरण अब पुनः विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालवास से प्राप्त होने पर समिति द्वारा इसके प्रकरण पर विचार किये जाने पर पाया गया कि वर्तमान में भी दण्डित बंदी मुश्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली के विरुद्ध 04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है, परन्तु इन प्रकरणों में बंदी की जमानत हो गई है और अधीक्षक जेल की टिप्पणी में भी बंदी का आचरण संतोषप्रद होना बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी मुश्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


अध्यक्ष

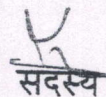
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य

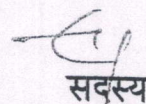
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य

उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 16.07.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 16.07.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री जगमोहन मित्रका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में 05 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 04 प्रकरणों को समिति द्वारा अप्रवर्धित किया गया। जिनका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
सतू उर्फ सत्यनारायण पुत्र बालाजी गुर्जर	के.का.कोटा	826/2025	07.07.2025	14.07.2025
घनश्याम उर्फ पिटू पुत्र शीशराम गुर्जर	के.का.कोटा	821/2025	07.07.2025	14.07.2025
जीतू उर्फ जीतमल पुत्र फतेह सिंह गुर्जर	के.का.कोटा	819/2025	07.07.2025	14.07.2025
रणजीत सिंह पुत्र मान सिंह गुर्जर	के.का.कोटा	820/2025	07.07.2025	14.07.2025



अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी सतू उर्फ सत्यनारायण पुत्र बालाजी गुर्जर, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी (पी.ओ.ए.) एक्ट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2013 अंतर्गत धारा 147,148,450,302,307 आई.पी.सी. में दिनांक 19.04.2017 प्रभावी दिनांक 21.12.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 05 वर्ष 01 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 826/2025 सतू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.07.2025 से निर्णय पारित किया है कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाचीगण/सम्बन्धित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाए जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। अन्य कोई विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।"

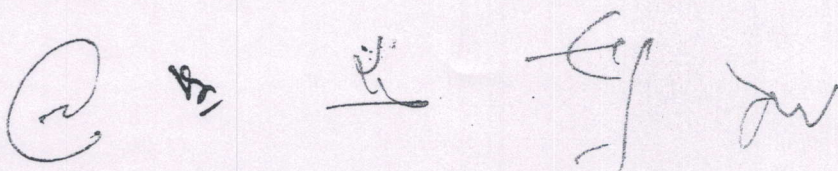
समिति के प्रकाश में आया कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत दण्डित बंदी जिनकी सजा 05 वर्ष से अधिक है, के द्वारा सजा का 1/3 भाग भुगते जाने पर पात्रता अर्जित होती है। उक्त बंदी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगती जाने पर पात्रता अर्जित होगी। इसी क्रम में अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत बंदी का प्रकरण का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् बंदी के प्रकरण में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी सतू उर्फ सत्यनारायण पुत्र बालाजी गुर्जर को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी घनश्याम उर्फ पिंटू पुत्र शीशराम गुर्जर, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी (पी.ओ.ए.) एक्ट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2013 अंतर्गत धारा 147,148,450,302,307 आई.पी.सी. में दिनांक 19.04.2017 प्रभावी दिनांक 21.12.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 05 वर्ष 17 दिवस की सजा मय परिहार मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 821/2025 घनश्याम बनाम राजस्थान व अन्य



दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.07.2025 से निर्णय पारित किया है कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाचीगण/सम्बन्धित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाए जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। अन्य कोई विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।"

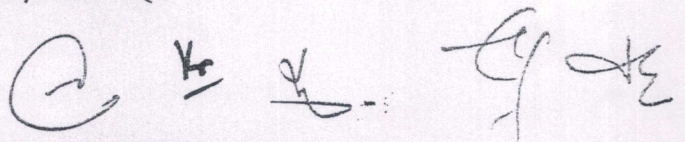
समिति के प्रकाश में आया कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत दण्डित बंदी जिनकी सजा 05 वर्ष से अधिक है, के द्वारा सजा का 1/3 भाग भुगते जाने पर पात्रता अर्जित होती है। उक्त बंदी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगती जाने पर पात्रता अर्जित होगी। इसी क्रम में अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत बंदी का प्रकरण का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् बंदी के प्रकरण में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी घनश्याम उर्फ पिंटू पुत्र शीशराम गुर्जर को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी जीतू उर्फ जीतमल पुत्र फतेह सिंह गुर्जर, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी (पी.ओ.ए.) एक्ट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2013 अंतर्गत धारा 147,148,450,302,307 आई.पी.सी. में दिनांक 19.04.2017 प्रभावी दिनांक 21.12.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 04 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 819/2025 जीतू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.07.2025 से निर्णय पारित किया है कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाचीगण/सम्बन्धित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाए जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। अन्य कोई विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।"



समिति के प्रकाश में आया कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत दण्डित बंदी जिनकी सजा 05 वर्ष से अधिक है, के द्वारा सजा का 1/3 भाग भुगते जाने पर पात्रता अर्जित होती है। उक्त बंदी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगती जाने पर पात्रता अर्जित होगी। इसी क्रम में अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत बंदी का प्रकरण का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् बंदी के प्रकरण में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी जीतू उर्फ जीतमल पुत्र फतेह सिंह गुर्जर को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी रणजीत सिंह पुत्र मान सिंह गुर्जर, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी (पी.ओ.ए.) एकट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2013 अंतर्गत धारा 147, 148, 450, 302, 307 आई.पी.सी. में दिनांक 19.04.2017 प्रभावी दिनांक 21.12.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 04 वर्ष 09 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार मय परिहार के भुगत ली है।

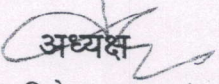
बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 820/2025 रणजीत बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.07.2025 से निर्णय पारित किया है कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाचीगण/सम्बन्धित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खला बंदी शिविर में भिजवाए जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। अन्य कोई विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।"

समिति के प्रकाश में आया कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत दण्डित बंदी जिनकी सजा 05 वर्ष से अधिक है, के द्वारा सजा का 1/3 भाग भुगते जाने पर पात्रता अर्जित होती है। उक्त बंदी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगती जाने पर पात्रता अर्जित होगी। इसी क्रम में अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

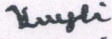
अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत बंदी का प्रकरण का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् बंदी



के प्रकरण में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी रणजीत सिंह पुत्र मान सिंह गुर्जर को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


अध्यक्ष

महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य

महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य

उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।